

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 08.03.2023

मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधीयो के नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष झंगहा द्वारा एक सशक्त टीम गठित की गयी। उक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 89/2023 धारा 323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज पटेल उर्फ बब्बी पुत्र राधेश्याम पटेल निवासी राजधानी टोला घटुलीघाट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण- आवेदक द्वारा घर के सामने खुद के द्वारा रखी गयी ईंट के बात विवाद को लेकर विपक्षी द्वारा लाठी डण्डा से मारने पीटने गाली व धमकी देने बीच बचाव करने पत्नी के आने पर उसे मारने पीटने जिसके कारण मौके पर पत्नी के अचेत हो जाने के सम्बन्ध तहरीर दी थी। जिसके आधार थाना स्थानीय पर दिनांक 07.03.2022 को मु0अ0स0 89/2023 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सूरज पटेल उर्फ बब्बी पुत्र राधेश्याम पटेल निवासी राजधानी टोला घटुलीघाट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 089/2023 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0स0 134/2019 धारा 379/411 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- व0उ0नि0 देवीशंकर पाण्डेय थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2- का0 विकास कुमार सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर